न्यायालय में:- श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर॥म.प्र.॥

398

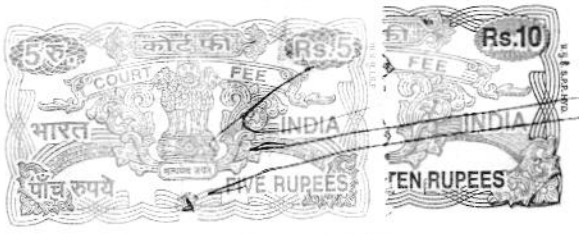

C.F. Rs. 15/-

773
22/11/12
R-4107-II/12

रामचरण कचेर पिता रामाधार कचेर, निवासी- खन्नौधी, थाना व तहसील-गोहपारू, जिला शहडोल॥म.प्र.॥ --- आवेदक

बनाम

1- दयाराम कचेर पिता प्रमोद कचेर, निवासी ग्राम-खन्नौधी, थाना व तहसील-गोहपारू, जिला शहडोल॥म.प्र.॥

2- मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री सन्तोष मिश्र "रत्नमाला" द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 22/11/2012
22/11/12

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान् तहसीलदार गोहपारू के रा.प्र.क्र. 43/अ-12/11-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30.12.11,

=====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959,

मान्यवर,

4-12-12

आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि:-

निगरानी का संक्षेप
::::::::::::::::::

1- यह कि, ग्राम- कुकरौध की आराजी ख.नं. 48 का भूमिस्वामी आवेदक है तथा संलग्न खसरा नम्बर 41 का भूमिस्वामी अनावेदक क्र. 1 है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 102 के जुज भाग 4.00एकड़ पर अर्से 40 वर्षों से आवेदक काश्त करता चला आ रहा है तथा ख.नं. 102/2 का भूमिस्वामी अनावेदक दयाराम है। इस तरह प्रश्नाधीन भूमि का सरहद्दी काश्तकार आवेदक है।

2- यह कि, अनावेदक दयाराम ने ग्राम- कुकरौध की आराजी खसरा नम्बर 41/1 व 102/2 का सीमांकन किये जाने का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सरहद्दी काश्तकारों को सूचित किये बगैर आवेदक के पीठ-पीछे सीमांकन किया जाकर आवेदक की भूमि अनावेदक क्र. 1 को बतला दी गई। जिससे विवाद उत्पन्न हो गया।

15/4/13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक B-4107-दो/2012 जिला- शहडोल

रामचरण कचेर **विरूद्ध दयाराम कचेर व मध्यप्रदेश शासन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार अहिरवार उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार गोहपारू, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-12-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3 (आर.के. जैन) 23/01/19 सदस्य	